भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 341
जिसका उत्तर शुक्रवार, 21 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

समान नागरिक संहिता संबंधी रिपोर्ट

341. श्रीमती माला राय :

डॉ. डी. रविकुमार :

श्री वी. के. श्रीकंदन :

प्रो. सौगत राय :

श्री असादुद्दीन ओवैसी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2018 में 21वें विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इस समय समान नागरिक संहिता (यूसीसी) न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है;
(ख) यदि हां, तो क्या विधि आयोग द्वारा व्यापक विचार-विमर्श और जनता की प्रतिक्रिया के बाद यह निर्णय लिया गया था;
(ग) यदि हां, तो क्या वर्तमान विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के संबंध में विचार जानने के लिए नई सार्वजनिक सूचना जारी की है;
(घ) यदि हां, तो इस मुद्दे पर विभिन्न वर्गों के व्यापक विरोध के बावजूद इस रुख के पीछे क्या औचित्य हैं; और
(ङ) सरकार द्वारा संविधान के अनुसार नागरिकों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ङ) : भारत के 21वें विधि आयोग ने 31.08.2018 को "परिवार विधि के सुधार" पर एक परामर्श पत्र जारी किया था, तथापि कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई है । चूकि उक्त परामर्श पत्र के जारी होने की तारीख से चार वर्ष से अधिक बीत चुके हैं, तारीख 14.06.2023 को 22वें विधि आयोग ने विषय वस्तु की सुसंगतता और उपयोगिता महत्व तथा एक सामान सिविल संहिता के विषय पर विभिन्न न्यायालयों के आदेश को भी ध्यान मे रखते हुए अधिकत्तर लोगों और धार्मिक संगठनों के विचारों और अवलोकनों की मांग करने का निर्णय लिया है ।

****